प्रेस नोट ***11/04/2025***

एक झप्पटामार हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से एक मोबाइल फोन व तमन्चा, कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.04.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रौदा भगवानपुर गाव व तडासो मार्ग से मु0अ0सं0 176/24 धारा 304(2), 117(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अकबर नट पुत्र मनजी नट निवासी 82 चकिया की बारी थाना दुबहड जनपद बलिया के कब्जे से झपचमारी का एक अदद मोबाइल फोन व एक अदद तमन्चा, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना दोहरीघाट में मु0अ0सं0 57/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। उक्त अभियुक्त थाना दुबहड़ जनपद बलिया का हिस्ट्रीशीटर है। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध चोरी, आबकारी, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट जनपद बलिया के विभिन्न थानो में कुल 10 अभियोग पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 57/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 176/24 धारा 304(2), 117(2) बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अकबर नट पुत्र मनजी नट निवासी 82 चकिया की बारी थाना दुबहड जनपद बलिया।

बरामदगी–

1. एक अदद मोबाइल फोन।
2. एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. उ0नि0 सत्येन्द्र प्रजापति थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. का0 आदर्श मिश्रा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. का0 प्रितम कुमार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. का0 संजीव सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास–

उक्त अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बलिया के विभिन्न थानों में कुल 10 अभियोग पंजीकत है। जिसमें थाना दुबहड़ में 09 अभियोग व थाना फेफना में 01 अभियोग पंजीकृत है।

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी कुल धनराशि 20318 (बीस हजार तीन सौ अट्ठारह) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी

कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी कुल धनराशि 20318 रुपये, पीडित राम प्रवेश यादव पुत्र श्याम सुंदर यादव निवासी आदेडीह उमापुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 20318 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, म0उ0नि0 अंशी शुक्ला क0आ0 आशीष द्विवेदी, आरक्षी धीरज कुमार, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।

01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 11.04.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान 01 नफर वारण्टी अभियुक्त देवेन्द्र यादव पुत्र स्व0 श्रीपती यादव निवासी कन्धेरी ताला सागर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।